अति आवश्यक

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में

सभी अधिकारी मुख्यालय
व क्षेत्रीय कार्यालय।

कमांकः स्था0/05/2020/1822-2023 दिनांकः 20-1-2020

विषयः— कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 579—728 दिनांक 08.01.2020 के संदर्भ में।

विषय सम्बंध में आपको उक्त सन्र्दभित पत्र के माध्यम से पहले भी सूचित किया गया था कि जिन कर्मचारियों की पिछले तीन वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, वह लिखते हुये मुख्यालय में भिजवायें, जोकि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा दिनांक 15.01.2020 को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उन द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो बारे निर्देश दिये गये है कि मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दे दिये जाये कि वे उनके कार्यालयों में कार्यरत सभी श्रेणी—ग व घ से सम्बधिंत कर्मचारियों की ए0सी0आर0 Reporting Authority द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक लिखना सुनिश्चित करवायें तथा उसके उपरांत 30 जून तक Reviewing Authority के समक्ष प्रस्तुत की जाये व 31 जुलाई तक Accetping Authority के समक्ष प्रस्तुत की जाये। यदि अधिकारी समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ए0सी0आर0 नहीं भेजते है तो संबधिंत अधिकारी की ए0सी0आर0 में Adverse Remarks दर्ज कर दिया जायेगा।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुये जिन अधिकारियों द्वारा उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों की पिछले तीन वर्ष (2016-17, 2017-18 & 2018-19)की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टे नहीं लिखी गई है, वे उक्त वर्षो की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर—2 मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बधिंत अधिकारियों की ए0सी0आर0 में Adverse Remarks बारे मामला उच्च अधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अधीक्षक (स्था0)
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।